<u>दीनदयाल रोजगार योजना</u>

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित करने एवं सहायता करने के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से लाभांवित किया जा रहा है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत रु. 40 हजार वार्षिक आय से अधिक के परिवार के बेरोजगार युवक युवतियों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार विभिन्न निगमों की स्वरोजगार योजनाओं में विशिष्ट वर्ग अथवा आय के हितग्राहियों को ही लाभ प्राप्त होता है। उक्त सभी योजनाओं की पात्रता सामान्यतः शहरी एवं ग्रामीण गरीबी रेखा की आय से जुडी हुई है। जबकि प्रदेश में मध्यम आय वर्ग के परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को दो वर्ष तक रु. 300/– प्रतिमाह की दर से कुल रु. 7200/– बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना से युवाओं को तात्कालिक आय तो प्राप्त हो जाती है परन्तु उससे न तो स्वरोजगार स्थापित होता है और न ही इस ओर प्रेरित किया जाना सम्भव होता है।

अतः उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में संभावनापूर्ण उद्यमियों के एक बहुत बडे वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक युवतियां जो मध्यम आय वर्ग के परिवार के सदस्य हैं एवं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में निर्धारित आय सीमा से अधिक आय होने के एकमात्र कारण से पात्रता नही रखते हैं, को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित करने के लिए दीनदयाल रोजगार योजना के नाम से एक अभिनव योजना प्रारंभ की जाने हेतु राज्य शासन स्तर से पहल की जावे।

योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के विरुद्ध अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा करने में सहायता करना है।

दीनदयाल रोजगार योजना का स्वरूप

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
1	योजना का नाम	दीनदयाल रोजगार योजना
2	योजना का प्रारंभ	वर्ष 2004–05 में योजना प्रारंभ करने की घोषणा दिनांक से।
3	योजना का उद्‌देश्य	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाईयों/ गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना।
4	पात्रता	1 मूल निवासीः– मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। 2 आयुः– आवेदन दिनांक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो । 3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः– 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आई.टी.आई. उत्तीर्ण हो। 4 आय :– आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.50 लाख से अधिक नहीं हो। टीपः परिवार से आशय आवेदक/आवेदिका के पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चे अथवा आवेदक/आवेदिका के अविवाहित होने पर उसके माता–पिता एवं अविवाहित भाई–बहन से है। 5 रोजगार कार्यालय में पंजीयनः– शिक्षित बेरोजगार जिसका रोजगार कार्यालय में आवेदन दिनांक को जीवित पंजीयन हो।
5	सहायता	हितग्राही को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत की जा सकेगी :– उद्योग क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत,

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		अधिकतम रु. 40,000/—। सेवा क्षेत्र— स्वीकृत परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15000/—। व्यवसाय क्षेत्र— स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 7500/—। टीपः— (1) उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत रुपये 1 लाख तक की स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500/— तक की मार्जिन मनी की पात्रता होगी। (2) योजनांतर्गत मार्जिन मनी की कुल सहायता राशि, हितग्राही द्वारा लगाई जा रही कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । (3) ऐसे आवेदकों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे अधिक हो, उन्हें उद्योग या सेवा गतिविधि हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रतिशत अनुसार अधिकतम सीमा क्रमशः रु. 50,000/— एवं रु. 25,000/— तक मार्जिन मनी सहायता की पात्रता होगी।
6	प्राथमिकता—	1 आईटीआई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदक। 2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक। 3. महिला आवेदनकर्ता। 4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना। 5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
7	पात्र गतिविधिया	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम/गतिविधिया। उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत वे गतिविधियॉ मान्य होगी जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत/मान्य की गयी हो।
8	आवेदन प्रक्रिया	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।
9	आवेदन पंजीबद्ध करना	सभी आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध किया जाएगा। आवेदन पत्र पूर्ण अथवा अपूर्ण की जानकारी हितग्राही को दी जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कराने की कार्यवाही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर की जावेगी। आवेदन के साथ प्रस्तावित

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		गतिविधियों की प्रोजेक्ट प्रोफाइल / योजना की प्रति भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
10	आवेदन पत्र बैक प्रेषित करना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति के अनुमोदन के पश्चात आवेदन संबंधित बैंक (यथा संभव हितग्राही की इच्छा के अनुरूप) को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किए जावेगे तथा बैंक को योजनांतर्गत मार्जिन मनी की पात्रता के संबंध में अवगत कराया जाएगा। इसकी सूचना हितग्राही को दी जावेगी 30 कार्य दिवस में बैक से प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी जावेगी।
11	मार्जिन मनी	बैंक से ऋण स्वीकृति एवं हितग्राही द्वारा जमा की गयी मार्जिन मनी राशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मार्जिन मनी की राशि बैंक को 10 कार्यदिवस में उपलब्ध कराई जावेगी।
12	**जिला स्तर पर समिति** **अ.** मार्जिन मनी अनुमोदन/ स्वीकृति हेतु अधिकृत समिति **ब.** समीक्षा हेतु समिति	**अ.** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत गठित टास्कफोर्स समिति प्रकरण अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी । **ब.** यह समिति जिलों में योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सतत् समीक्षा करेगी जिसमें बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना की समीक्षा/हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन देना एवं समिति के विचारार्थ जो विषय प्रस्तुत होगें उन पर समुचित विचार कर निराकरण करेगी। 1 कलेक्टर — अध्यक्ष 2 जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक — सदस्य 3 तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि – सदस्य 4 सेडमेप एवं एम.पी.कॉन– जिला प्रतिनिधि — सदस्य

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		5 एस.आई.एस.आई के प्रतिनिधि सदस्य 6 जिला महिला बाल विकास अधिकारी सदस्य 7 जिला रोजगार अधिकारी सदस्य 8 पॉलिटेक्निक कालेज एवं आईटीआई के प्रतिनिधि सदस्य 9 महाप्रबंधक सदस्य सचिव टीप– आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में बुला सकेंगे।
13.	प्रशिक्षण	योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी स्वीकृति के पश्चात हितग्राही को 10–15 दिवस प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र या सेडमेप या एमपीकॉन द्वारा दिया जाएगा। योजनान्तर्गत एक साथ पर्याप्त संख्या में हितग्राही उपलब्ध नही होने पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अर्न्तगत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ हितग्राहीयों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्कता नहीं होगी।
14.	बजट प्रावधान	योजनान्तर्गत बजट प्रावधान में से न्यूनतम 90 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी हेतु उपयोग की जावेगी, शेष राशि अधिकतम 10 प्रतिशत में से योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर संगोष्ठि एवं आकस्मिक व्यय आदि में उपयोग की जा सकेगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के प्रशिक्षण संबंधी व्यय प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत प्रशिक्षण मद में ही वहन होगा।
15	मार्जिन मनी का वितरण एवं समायोजन	योजना अन्तर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत परियोजना अनुसार बैंक ऋण वितरण एवं हितग्राही के अंश की मार्जिन मनी राशि जमा करने के पश्चात ही अनुदान के रूप में समायोजित हो सकेगी। यदि हितग्राही के अंश की जमा की गयी मार्जिन मनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि के 50 प्रतिशत से कम हुई तो उसी अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि समायोजित हो सकेगी।
16	विविध	1. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		प्रत्येक माह प्रेषित, स्वीकृत, मार्जिन मनी से स्वरोजगार प्रारंभ इकाईयों की समीक्षा आवश्यक रूप से की जावेगी। 2. योजनांतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर भी विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मान्य नहीं होगी 3. अन्य किसी योजना (जैसे खादी ग्रामोद्योग की मार्जिन राशि योजना) से मार्जिन मनी सहायता का लाभ प्राप्त कर चुके/ कर रहे हितग्राही इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के केवल रु. 1.00 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृति पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा परन्तु प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान व इस योजनांतर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता हितग्राही द्वारा लगाई जा रही है, मार्जिन मनी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 5. औद्योगिक इकाई को उद्योग विभाग से नियमानुसार अन्य सुविधायें भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेगी। 6. लागत पूंजी अनुदान की पात्रता की स्थिति में कुल अनुदान राशि में से उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी सहायता राशि को कम करने के पश्चात शेष राशि ही अनुदान के रूप में दी जावेगी। 7. बैंकों से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से है। 8. किसी बैंक का/उद्योग विभाग की देयताओं का डिफाल्टर होने की स्थिति में हितग्राही को योजनान्तर्गत पात्रता नहीं होगी। 9. बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किए जाने की स्थिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी की राशि अन्य हितग्राही के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। 10. गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से मार्जिन मनी प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि 10 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी। 11 योजना अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता प्राप्त उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मार्जिन मनी राशि के दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में भू–राजस्व की बकाया की तहत मार्जिन

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		मनी राशि वसूल की जा सकेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। 12. योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा। 13. जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रकरण संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में समीक्षा हेतु रखे जाएंगे।